GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 260
ANSWERED ON 19.03.2021

DEVELOPMENT OF RAILWAY STATIONS UNDER PPP MODEL

*260. SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government has initiated a programme to develop railway stations on PPP model and that the work on a few railway stations is already in progress;

(b) if so, the details thereof, including the time for completion of each such work;

(c) the additional railway stations in the country identified for modernization in the next phase through PPP model; and

(d) the net benefits that would accrue to the Railways through modernization of railway stations under PPP model and whether some development charges would be levied on the passengers?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMERCE & INDUSTRY AND
CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(SHRI PIYUSH GOYAL)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

Q. No. 260 and Q. No. 268 were taken up together.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO. 260 BY SHRI SAMBHAJI CHHATRAPATI ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 19.03.2021 REGARDING DEVELOPMENT OF RAILWAY STATIONS UNDER PPP MODEL

(a) & (b): Yes, Sir. Ministry of Railways endeavors to redevelop railway stations through private sector participation under Public Private Partnership mode (PPP).

Works of redevelopment of Habibganj is at advanced stage. Works for redevelopment of Gomti Nagar station are under process. Request for Qualification (RFQ) have been finalized for 08 stations viz., Nagpur, Amritsar, Sabarmati, Gwalior, Puducherry, Tirupati, Nellore and Dehradun. RFQ have been invited for 03 stations viz., New Delhi, Chattrapati Shivaji Maharaj Terminus and Ernakulum. Contracts have been awarded for redevelopment of Safdarjung and Ajni (Nagpur) stations.

Station redevelopment program is first of its kind and complex in nature and requires detailed techno-financial feasibility studies and involves multiple stakeholders consultations including pre-bid conferences. Various statutory clearances from Urban/local bodies are also required. Therefore, no time-frame can be indicated at this stage.

(c) & (d): A Group of Secretaries (GoS) was constituted by Ministry of Railways for redevelopment of 50 railway stations on PPP mode. The GoS has inter-alia suggested the levy of user fee for redevelopment of stations. Stations have been entrusted to Rail Land Development Authority (RLDA) and Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC) for conducting techno-economic feasibility studies. Based on the outcome of such studies, stations are taken up for redevelopment in phases.

A redeveloped station envisages to provide improved/enhanced facilities at stations which include congestion free non-conflicting entry/exit to the station premises, segregation of arrival/departure of passengers, adequate concourse area without overcrowding, integration of both sides of the city, integration with other modes of transport systems e.g. Bus, Metro, etc.,

user friendly international signage, well illuminated circulating area and sufficient provision for drop off, pick up & parking etc.

*****

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

19.03.2021 के

तारांकित प्रश्न सं. 260 का उत्तर

पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाना

***260 श्री संभाजी छत्रपतीः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रेलवे स्टेशनों को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अन्तर्गत विकसित करने का कार्यक्रम शुरु किया है और कुछ रेलवे स्टेशनों पर यह कार्य पहले से ही चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे प्रत्येक कार्य के पूरा होने की समय-सीमा क्या है;

(ग) पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत अगले चरण में आधुनिकीकरण के लिए देश में और कितने रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है; और

(घ) पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किए जाने से रेलवे को क्या-क्या लाभ प्राप्त होंगे और क्या यात्रियों पर कोई विकास शुल्क भी लगाया जाएगा?

उत्तर

रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

पीपीपी मॉडल के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का विकास किए जाने के संबंध में दिनांक 19.03.2021 को राज्य सभा में श्री संभाजी छत्रपति द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.260 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी हां। रेल मंत्रालय सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी के जरिए रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रयासरत है।

हबीबगंज स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य अंतिम चरण में है। गोमती नगर स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य प्रक्रियाधीन है। 08 स्टेशनों यथा नागपुर, अमृतसर, साबरमती, ग्वालियर, पुडुचेरी, तिरुपति, नेल्लोर और देहरादून के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध (आरएफक्यू) को अंतिम रूप दे दिया गया है। 03 स्टेशनों यथा नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और एर्णाकुलम के लिए अर्हता संबंधी अनुरोध आमंत्रित किए गए हैं। सफदरजंग और अजनी (नागपुर) स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए ठेके प्रदान कर दिए गए हैं।

स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम अपनी किस्म का पहला और जटिल प्रवृत्ति का कार्य है और इसके लिए विस्तृत तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता होती है और इसमें बोली पूर्व सम्मेलनों सहित मल्टीपल हितधारकों का परामर्श शामिल है। शहरी/स्थानीय निकायों से विभिन्न सांविधिक क्लीयरेंस की आवश्यकता भी होती है। इसलिए, इस समय किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है।

(ग) और (घ): सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम के अंतर्गत 50 स्टेशनों के शीघ्र पुनर्विकास के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा सचिवों के समूह का गठन किया गया था। सचिवों के समूह द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया है। तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) और इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को स्टेशन सौंप दिए गए हैं। इन अध्ययनों के परिणाम के आधार पर स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू किए जाते हैं।

एक पुनर्विकसित स्टेशन में स्टेशनों पर उन्नत/संवर्द्धित सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जिसमें स्टेशन परिसर तक संकुलन रहित निर्बाध प्रवेश/निकास, यात्रियों के लिए अलग-अलग आगमन/प्रस्थान, भीड़-भाड़ रहित पर्याप्त कॉनकोर्स क्षेत्र, शहर के दोनों ओर से एकीकरण, बस, मेट्रो आदि जैसी परिवहन की अन्य साधन प्रणालियों के साथ एकीकरण, उपयोगकर्ता अनुकूल अंतरराष्ट्रीय संकेतक, अच्छी प्रकाश व्यवस्था युक्त परिचलन क्षेत्र और यात्रियों को ड्रॉप करने, पिक अप करने एवं पार्किंग आदि के लिए समुचित प्रावधान शामिल है।

*****